

संख्या—305



रजि० नं० एल. डब्लू / एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 17 दिसम्बर, 2003

अग्रहायण 26, 1925 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1832/सात-वि-1-1(क)-15-2003

लखनऊ, 17 दिसम्बर, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 2003 पर दिनांक 16 दिसम्बर, 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) अधिनियम, 2003

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2003)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) धाराएं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, धारा 10 के खण्ड (एक) और (दो), धाराएं 11, 12, 13, 14 और 15 दिनांक 18 अक्टूबर, 2002 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी, धारा 10 का खण्ड (तीन) दिनांक 6 मई, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट
संख्या 15 सन् 1948
की धारा 2 का
संशोधन

धारा 3 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ख) में शब्द "संयुक्त-कमिश्नर या उप-कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "या संयुक्त-कमिश्नर" रख दिये जायेंगे।

3-मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में, खण्ड (ख) में उपखण्ड (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :-

"(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, जहाँ राज्य सरकार लोकहित में ऐसा करना समीचीन समझे, वहाँ वह, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यापारी को, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी माल की बिक्री किसी अन्य व्यापारी को करने पर, जिसे एतदपश्चात् इस उपधारा में क्रेता के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, यथास्थिति, ऐसे कर या समाधान धनराशि का, जो ऐसे माल की पुनः बिक्री या ऐसे माल से निर्मित किसी अन्य वस्तु की बिक्री की दशा में क्रेता द्वारा देय हो, दायी होने की अनुमति दे सकती है और यदि ऐसा व्यापारी ऐसे दायित्व की जिम्मेदारी लेता है तो वह क्रेता के स्थान पर ऐसे माल की ऐसी पुनः बिक्री या ऐसी वस्तु की बिक्री के विक्रय धन के सम्बन्ध में कर या समाधान धनराशि का भुगतान करने का दायी होगा।"

धारा 3-क का
संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 3-क में, उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में शब्द "माल के सम्बन्ध में विक्रय धन पर" के स्थान पर शब्द "ऐसे माल के सम्बन्ध में विक्रय धन पर" रख दिये जायेंगे।

धारा 3-छ का
संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 3-छ में, उपधारा (1) में, अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :-

"परन्तु केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी निगम, उपक्रम या कम्पनी को की गई बिक्री के मामले में व्यापारी से इस उपधारा के अधीन घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायगी, यदि उसने कर निर्धारक अधिकारी को, ऐसे निगम, उपक्रम या कम्पनी को माल की आपूर्ति करने के लिए आदेश की प्रति, माल के परिदान का प्रमाण और रेखांकित चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त किये गये भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है।"

धारा 4-ख का
संशोधन

6-मूल अधिनियम की धारा 4-ख में, उपधारा (4) में, खण्ड (तीन) में शब्द "उप-कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "संयुक्त-कमिश्नर" रख दिये जायेंगे।

धारा 8-क का
संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 8-क में, उपधारा (4) में, खण्ड (एक) में शब्द "छपी हुई क्रम संख्या के साथ यथास्थिति, कैश मेमो या बिल या चालान देगा जिस पर उसका या उसके सेवक, मैनेजर या एजेन्ट का दिनांक सहित हस्ताक्षर होगा" के स्थान पर शब्द "प्रिन्टिंग प्रेस से छपी हुई क्रम-संख्या, फर्म का नाम, पता, रजिस्ट्रीकरण संख्या और वह दिनांक जब से रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है, फर्म की शाखाओं या गोदामों के साथ यथास्थिति, कैश मेमो या बिल या चालान देगा जिसको उसके या उसके सेवक, मैनेजर या एजेन्ट द्वारा सम्यक् रूप से भरा जायेगा और दिनांक सहित हस्ताक्षरित किया जायेगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 8-घ का
संशोधन

8-मूल अधिनियम की धारा 8-घ में, उपधारा (1) में द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह भी कि जहाँ इस उपधारा में निर्दिष्ट माल, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4 या 5 द्वारा आच्छादित हो, वहाँ ऐसे माल के सम्बन्ध में, इस उपधारा के अधीन किसी धनराशि की कटौती नहीं की जायगी।"

धारा 9 का संशोधन

9-मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (3) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह और कि अपीलीय प्राधिकारी को धारा 8-क की उपधारा (1-ख) या उपधारा (1-ग) के अधीन किये गये किसी आदेश के प्रवर्तन को रोकने की कोई शक्ति नहीं होगी।"

10-मूल अधिनियम की धारा 10 में,-

(एक) उपधारा (1) में, खण्ड (ख) में शब्द "उप-कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "संयुक्त-कमिश्नर" रख दिये जायेंगे।

(दो) उपधारा (6) में, परन्तुक में, खण्ड (दो) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :-

"(तीन) अधिकरण को, धारा 8-क की उपधारा (1-ख) या उपधारा (1-ग) के अधीन कर निर्धारक अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किए गये किसी आदेश के प्रवर्तन को रोकने की शक्ति नहीं होगी।"

(तीन) उपधारा (10) में, खण्ड (क) में,-

(क) उपखण्ड (1) में शब्द "पचास हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दो लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपखण्ड (2) में शब्द और अंक "5 मार्च, 2001 को लम्बित रही हों और विवादग्रस्त कर, शुल्क या शास्ति की धनराशि पचास हजार रुपये से अधिक न हो" के स्थान पर शब्द और अंक "1 मई, 2003 को लम्बित रहीं हों और विवादग्रस्त कर, शुल्क या शास्ति की धनराशि दो लाख रुपये से अधिक न हो" रख दिए जायेंगे।

11-मूल अधिनियम की धारा 10-ख में उपधारा (1) में शब्द "उप-कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "संयुक्त-कमिश्नर" रख दिये जायेंगे।

धारा 10-ख का संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा 13-क में उपधारा (6) में शब्द "सहायक-कमिश्नर" के स्थान पर शब्द "उप-कमिश्नर" रख दिये जायेंगे।

धारा 13-क का संशोधन

13-मूल अधिनियम की धारा 15-क में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :-

धारा 15-क का संशोधन

"(3-क) उस वित्तीय वर्ष की, जिसमें धारा 28-ख के अधीन माल के पारगमन के लिये प्राधिकार प्राप्त किया जाना अपेक्षित था, समाप्ति से छः वर्ष के अवसान के पश्चात् उपधारा (1) के खण्ड (थ) में निर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में उक्त उपधारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।"

14-मूल अधिनियम की धारा 29 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :-

धारा 29 का संशोधन

"(4) उपधारा (1), (2) और (3) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, जहाँ किसी व्यापारी द्वारा किसी निश्चित माल के क्रय पर कर का भुगतान कर दिया गया है और ऐसे माल से निर्मित माल के मूल्य में ऐसा कर सम्मिलित है और राज्य सरकार ने ऐसे क्रयों पर भूतलक्षी प्रभाव से कर के दायित्व से छूट प्रदान कर दी है तो व्यापारी ऐसे माल के क्रयों पर भुगतान किये गये कर की वापसी का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि वह कर निर्धारक अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध न कर दे कि उसने ऐसे कर के दायित्व को किसी तीसरे पक्ष को किसी विक्रय के परिणाम के रूप में या अन्यथा में अन्तरित नहीं किया है।"

15-मूल अधिनियम की धारा 32 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में शब्द "एक सौ रुपया" के स्थान पर शब्द "पचास रुपया" और शब्द "एक हजार रुपया" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपया" रख दिये जायेंगे।

धारा 32 का संशोधन

निरसन और
अपवाद

16-(1) उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2002 द्वारा या उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा या उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी माना यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 25
सन् 2003
उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 17
सन् 2002
उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 10
सन् 2003
उत्तर प्रदेश
अध्यादेश
संख्या 13
सन् 2003

उद्देश्य और कारण

कर वसूली को सरल बनाने, कर का अपवंचन रोकने और कतिपय कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया कि उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 में संशोधन करके मुख्यतः निम्नलिखित व्यवस्था की जाय,—

- (क) कमिश्नर की परिभाषा से शब्द "उप-कमिश्नर" का लोप किया जाना ;
- (ख) राज्य सरकार को लोक हित में किसी व्यापारी को किसी माल की बिक्री किसी अन्य व्यापारी को करने पर ऐसे कर या समाधान धनराशि का, जो ऐसे माल की पुनः बिक्री या ऐसे माल से निर्मित किसी अन्य वस्तु की बिक्री की दशा में क्रेता द्वारा देय हो, दायी होने की अनुमति देने के लिए सशक्त किया जाना ;
- (ग) रियायती दर का लाभ ऐसे व्यापारी को भी दिया जाना जो केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी निगम, उपक्रम या कम्पनी को माल की आपूर्ति करने के लिए आदेश की प्रति, माल के परिदान का प्रमाण और रेखांकित चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त किये गये भुगतान का प्रमाण कर निर्धारक अधिकारी को प्रस्तुत कर दे ;
- (घ) कर से छूट देने के उपबन्धों से शब्द "अन्य व्यक्ति" का लोप किया जाना ;
- (ङ) किसी ऐसे व्यापारी द्वारा जिस पर धारा 8-क के उपधारा (1) या धारा 18 की उपधारा (1) के उपबन्ध लागू हैं, क्रेता को छपी हुई क्रम संख्या के साथ देने के बजाय, प्रिन्टिंग प्रेस से छपी हुई क्रम संख्या, फर्म का नाम, पता, रजिस्ट्रीकरण संख्या और वह दिनांक जब से रजिस्ट्रीकरण प्रभावी है, फर्म की शाखाओं या गोदामों के साथ यथास्थिति, केश मेमो या बिल या चालान का दिया जाना ;
- (च) धारा 8-घ की उपधारा (1) में उल्लिखित और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, 4 और 5 द्वारा आच्छादित माल के सम्बन्ध में संकर्म सविदाकार को देय धनराशि से कोई कटौती न किया जाना ;
- (छ) कर निर्धारक अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा धारा 8-क की उपधारा (1-ख) के अधीन किये गये किसी आदेश के प्रवर्तन को स्थगित करने की अधिकरण की शक्ति को समाप्त किया जाना ; या
- (ज) उस वित्तीय वर्ष की जिसमें धारा 28-ख के अधीन माल के पारगमन के लिये प्राधिकार प्राप्त किया जाना अपेक्षित था, समाप्ति से छः वर्ष के अवसान के पश्चात् कर निर्धारक अधिकारी द्वारा धारा 15-क की उपधारा (1) के अधीन किसी ऐसे व्यापारी या अन्य व्यक्ति को आदेश देने से रोकना जो धारा 28-ख के अधीन यथा अपेक्षित माल के पारगमन के लिए प्राधिकार-पत्र प्राप्त करने या माल के परिदान में विफल रहा हो ;
- (झ) किसी ऐसे व्यापारी को, जिसने किसी निश्चित माल के क्रय पर कर का भुगतान कर दिया हो और ऐसे माल से निर्मित माल के मूल्य में ऐसा कर सम्मिलित हो और राज्य सरकार ने ऐसे क्रयों पर भूललक्षी प्रभाव से कर के दायित्व से छूट प्रदान कर दी हो, ऐसे कर की वापसी के लिए तभी हकदार बनाना जब वह यह सिद्ध कर दे कि उसने ऐसे कर के दायित्व को किसी तीसरे पक्ष को विक्रय द्वारा या अन्यथा अन्तरित नहीं किया है ;
- (ञ) धारा 9 के अधीन अपील के ज्ञापन-पत्र पर देय फीस को घटाया जाना।

उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 18 अक्टूबर, 2002 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 17 सन् 2002) प्रख्यापित किया गया। उक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक दिनांक 28 फरवरी, 2003 को विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया किन्तु विधान सभा द्वारा उक्त विधेयक पारित नहीं हो सका। अतएव उक्त अध्यादेश के उपबन्धों को प्रतिस्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2003 प्रख्यापित किया गया। तत्पश्चात् यह विनिश्चय किया गया कि अधिकरण की एक सदस्यीय पीठ को 2 लाख रुपये तक के विवादित कर शुल्क और शास्ति के मामलों में सुनवाई का अधिकार दिये जाने के लिए उपर्युक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय। इस विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए उत्तर प्रदेश व्यापार कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2003) प्रख्यापित किया गया। चूंकि वर्ष 2003 के उक्त अध्यादेशों को अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका और उनके उपबन्ध दिनांक 13 अक्टूबर, 2003 के पश्चात् प्रवर्तन में नहीं रह जाते अतः यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अध्यादेशों के उपबन्धों को प्रतिस्थापित करने के लिए दूसरा अध्यादेश प्रख्यापित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करना आवश्यक था अतः श्री राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर, 2003 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 2003 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25 सन् 2003) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश संख्या 25 सन् 2003 को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

राजा से,
डी० बी० राव,
मुख्य सचिव।

No. 1832 (2)/VII-V-1-1(KA)-15-2003
Dated Lucknow, December 17, 2003

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vyapar Kar (Sanshodhan) (Dwitiya) Adhiniyam, 2003 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 11 of 2003) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 16, 2003.

THE UTTAR PRADESH TRADE TAX (AMENDMENT) (SECOND) ACT, 2003
(U. P. ACT NO. 11 OF 2003)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Act, 2003.

Short title and commencement

(2) Sections 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, clauses (i) and (ii) of section 10, sections 11, 12, 13, 14 and 15 shall be deemed to have come into force on October 18, 2002, clause (iii) of section 10 shall be deemed to have come into force on May 6, 2003 and the rest of the provisions shall come into force at once.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (b) for the words, "a Joint Commissioner or a Deputy Commissioner" the words "or a Joint Commissioner" shall be substituted.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 15 of 1948

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (b) after sub-clause (5), the following clause shall be inserted, namely :—

Amendment of section 3

"(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provision of this Act, where the State Government considers it expedient in public interest so to do, it may, by notification, permit a dealer selling any

- goods specified in the notification to another dealer, hereinafter in this sub-section referred to as the purchaser, to own the liability of tax or composition money, as the case may be, payable by the purchaser in the event of re-sale of such goods or sale of any other commodity manufactured from such goods and if such dealer owns such liability, he shall be liable in place of the purchaser, to pay the tax or composition money in respect of the turnover of such re-sale of such goods or sale of such commodity."
- Amendment of section 3-A
4. In section 3-A of the principal Act, in sub-section (1), in clause (b) for the words "on the turnover in respect of goods" the words "on the turnover in respect of such goods" shall be *substituted*.
- Amendment of section 3-G
5. In section 3-G of the principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be *inserted* at the end, namely :—
"Provided that in case of sale to a Corporation, Undertaking or Company of the Central or the State Government, the dealer shall not be required to furnish declaration under this sub-section, if he furnishes to the assessing authority copy of the order for supply of goods, proof of delivery of goods to such Corporation, Undertaking or Company and the proof of payment having been received through crossed cheque or Bank draft."
- Amendment of section 4-B
6. In section 4-B of the principal Act, in sub-section (4), in clause (iii) for the words "Deputy Commissioner" the words "Joint Commissioner" shall be *substituted*.
- Amendment of section 8-A
7. In section 8-A of the principal Act, in sub-section (4), in clause (i) for the words "with printed serial number, signed", the words "with serial number, name, address, registration number and the date from which the registration number is effective, branches or godowns. of the firm, printed from a printing press, which shall be duly filled, signed," shall be *substituted*.
- Amendment of section 8-D
8. In section 8-D of the principal Act, in sub-section (1), *after* the second proviso the following proviso shall be *inserted*, namely :—
"Provided also that where the goods referred to in this sub-section are covered by sections 3, 4 or 5 of the Central Sales Tax Act, 1956, no amount shall be deducted under this sub-section in respect of such goods."
- Amendment of section 9
9. In section 9 of the principal Act, in sub-section (3), *after* the proviso the following proviso shall be *inserted*, namely :—
"Provided further that the appellate authority shall have no power to stay the operation of an order made under sub-section (1-B) or sub-section (1-C) of section 8-A."
- Amendment of section 10
10. In section 10 of the principal Act,—
(i) in sub-section (1), in clause (b) for the words "Deputy Commissioner" the words "Joint Commissioner" shall be *substituted*.
(ii) in sub-section (6), in the proviso, *after* clause (ii) the following clause shall be *inserted*, namely :—
"(iii) the tribunal shall have no power to stay the operation of an order of the assessing authority or appellate authority made under sub-section (1-B) or sub-section (1-C) of section 8-A."
(iii) in sub-section (10), in clause (a),—
(a) in sub-clause (i) for the words "fifty thousand rupees" the words "two lakh rupees" shall be *substituted*;
(b) in sub-clause (ii) for the words and figures "pending on March 5, 2001 and the amount of tax, fee or penalty in dispute does not exceed rupees fifty thousand", the words and figures "pending on May 1, 2003 and the amount of tax, fee or penalty in dispute does not exceed rupees two lakh" shall be *substituted*.

11. In section 10-B of the principal Act, in sub-section (1) for the words "Deputy Commissioner" the words "Joint Commissioner" shall be substituted. Amendment of section 10-B

12. In section 13-A of the principal Act, in sub-section (6) for the words "Assistant Commissioner" the words "Deputy Commissioner" shall be substituted. Amendment of section 13-A

13. In section 15-A of the principal Act, after sub-section (3) the following sub-section shall be inserted, namely :— Amendment of section 15-A

"(3-A) No order shall be made under sub-section (1) in respect of a case referred to in clause (g) of the said sub-section after the expiration of six years from the end of the financial year in which authorisation for transit of goods was required to be obtained under section 28-B."

14. In section 29 of the principal Act, after sub-section (3) the following sub-section shall be inserted, namely :— Amendment of section 29

"(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1), (2) and (3) where the tax has been paid by a dealer on purchase of certain goods and the value of goods manufactured out of such goods is inclusive of such tax and the State Government remits the tax liability on such purchases retrospectively, the dealer shall not be entitled to refund of tax paid on purchases of such goods unless he proves to the satisfaction of the assessing authority that he has not passed on the liability of such tax to any third party as a result of any sale or otherwise."

15. In section 32 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a) for the words "one hundred rupees" the words "fifty rupees" and for the words "one thousand rupees" the words "five hundred rupees" shall be substituted. Amendment of section 32

16. (1) The Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) (Second) Ordinance, 2003 are hereby repealed. Repeal and savings

U. P. Ordinance no. 25 of 2003

U. P. Ordinance no. 17 of 2002

U. P. Ordinance no. 10 of 2003

U. P. Ordinance no. 13 of 2003.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Ordinance, 2002 or by the Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Ordinance, 2003 or by the Uttar Pradesh Trade Tax (Second) Ordinance, 2003 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to simplify the realisation of tax, preventing evasion of tax and removing certain difficulties, it was decided to amend the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 mainly to provide for,—

(a) omission of words "Deputy Commissioner" from the definition of the Commissioner,

(b) empowering the State Government to permit, in the public interest a dealer selling any goods to another dealer to own the liability of tax or composition money payable by the purchaser in the event of re-sale of such goods or sale of any other goods manufactured from such goods;

(c) giving the benefit of concessional rate also to a dealer who furnishes to the assessing authority copy of the order for supply of goods, proof of delivery of goods to a Corporation, Undertaking or Company of the Central or the State Government and the proof of payment having been received through crossed cheque or bank draft;

(d) omitting the words "Other person" from the provisions of exemption from tax.

(e) issuing of a cash memos or bill or challan by a dealer to whom the provisions of sub-section (1) of section 8-A or sub-section (i) of section 18 are applicable to the purchase with the serial number, name, address, registration number and the date from which the registration number is effective, branches or godowns of the firm printed from a printing press instead of with printed serial number;

(f) making no deduction from the amount payable to the Works Contractor with respect to the goods mentioned in sub-section (1) of section 8-D and covered by section 3, 4 and 5 of the Central Sales Tax Act, 1956;

(g) abolishing the power of the tribunal to stay the operation of an order of the assessing authority or appellate authority made under sub-section (i-B) of section 8-A;

(h) preventing the assessing authority to make order under sub-section (1) of section 15-A to a dealer or other person who failed to obtain authorisation certificate for transit of goods or deliver the same as required under section 28-B, after expiration of six years from the end of the financial year in which the authorisation for transit of goods was required to be obtained under section 28-B;

(i) making a dealer who has paid the tax on the purchase of certain goods manufactured out of such goods is inclusive of such tax and the State Government remits the tax liability on such purchase retrospectively entitled to the refund of such tax only when he has proves that he has not passed on the liability of such tax to a third party by way of sale of otherwise;

(j) reduction of fee payable on a memorandum of appeal under section 9.

The Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Ordinance, 2002 (U.P. Ordinance no. 17 of 2002) was promulgated on October 18, 2002 to implement the aforesaid decision. The replacing Bill of the said Ordinance was introduced in the Legislative Assembly on February 28, 2003 but the said could not be passed by the Legislative Assembly. Therefore U.P. Ordinance no. 10 of 2003 to replace the provisions of the said Ordinance. Thereafter it was decided to amend the aforesaid Act to empower the single member branch of the Tribunal to hear and dispose of the appeals in which the amount of tax, fee or penalty in dispute do not exceed rupees two lakh. The Uttar Pradesh Trade Tax (Second Amendment) Ordinance, 2003 (U.P. Ordinance no. 13 of 2003) was promulgated to implement this decision since the said Ordinance of 2003 could not be replaced by Act and provisions thereof were to operate after October 13, 2003, it was decided to promulgate another Ordinance to replace the provisions of the said Ordinance.

Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) (Second) Ordinance, 2003 (U.P. Ordinance no. 25 of 2003) was promulgated by the Governor on October 13, 2003.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance no. 25 of 2003.

By order,
R.B. RAO,
Pramukh Sachiv.